रूपबाई बनाम हरगुण बगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं. सन् 15/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.6.17	यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायला की ओर से श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वकील सायला ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया केस सायला के पक्ष में प्रतीत होता है इसलिए गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आगामी पेशी तक खसरा नंबर 470 रकबा 16 एयर स्थित ग्राम फुलवाड़ा के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.07.2017 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)	
10.07.17	वकील सायल उप० गैरसायलान की ओर से एड० संदीप त्रिवेदी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रा० वास्ते जवाब दि. 8.8.17 को पेश हो।	
08.08.17	वकील उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते जवाब दि. 20.09.17 को पेश हो।	
20.09.17	वकील उभयपक्ष उप०। पत्रा० ~~वास्ते~~ में जवाब पेश किया गया। पत्रा० वास्ते बहस दि. 25.10.17 को पेश हो।	
25.10.17	वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने सहमति दी कि दिनांक 20.6.17 को जारी अंतरिम TI को ताफैसला दावा पुष्ट (Confirm) कर दिया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। अतः	25/10/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष की सहमति से ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा नंबर 470 रकबा 16 एयर ग्राम फुलवाड़ा के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।	
	सहायक कलैक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)	